पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 ई0 (अग्रहायण 30, 1935 शक सम्वत्) [संख्या–51

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	627–632	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	557–559	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	493–498	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	47–49	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

10 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 1148/XXXI(1)/2013–तात्कालिक प्रभाव से सचिवालय प्रशासन (लेखा) विभाग हेतु वर्तमान में सृजित 06 अनुभागों के अतिरिक्त 01 अन्य अनुभाग (लेखा) अनुभाग–7 का गठन करते हुए उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के अधीन सचिवालय प्रशासन विभाग के परिशिष्ट–1 में सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–2 को आवंटित कार्यों को सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–2 एवं नव गठित किये जाने वाले सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–7 के मध्य निम्नवत् विभाजित किया जाता है:–

लेखा अनुभाग–2	लेखा अनुभाग–7
समीक्षा अधिकारी एवं अपर निजी सचिव का लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य यथा:–	सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी (लेखा), सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा), सुरक्षा संवर्ग (अराजपत्रित पद धारक), कम्प्यूटर सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सचिवालय वाहन चालक संवर्ग से सम्बन्धित कार्य यथा:–
(1) सेवा पुस्तिकाओं का रख–रखाव एवं अध्यावधिक प्रविष्टियों का अंकन।	(1) सेवा पुस्तिकाओं का रख–रखाव एवं अध्यावधिक प्रविष्टियों का अंकन।
(2) जी0पी0एफ0 पासबुक/लेजर का रख–रखाव एवं अध्यावधिक प्रविष्टियों का अंकन।	(2) जी0पी0एफ0 पासबुक/लेजर का रख–रखाव एवं अध्यावधिक प्रविष्टियों का अंकन।
(3) वेतन/अग्रिम लेजर/मेमों का रख–रखाव।	(3) वेतन/अग्रिम लेजर/मेमों का रख–रखाव।
(4) समस्त प्रकार के भुगतान, वेतन, मंहगाई भत्ता, अवकाश नकदीकरण, एल0टी0सी0, भविष्य निधि अग्रिम, वाहन अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम, गृह मरम्मत अग्रिम/सामूहिक बीमा/पेंशन/ग्रेच्यूटि/राशिकरण/जी0पी0एफ0 भुगतान/यात्रा भत्ता अग्रिम/वेतनवृद्धि/मानदेय तथा वेतन निर्धारण का कार्य।	(4) समस्त प्रकार के भुगतान, वेतन, मंहगाई भत्ता, अवकाश नकदीकरण, एल0टी0सी0, भविष्य निधि अग्रिम, वाहन अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम, गृह मरम्मत अग्रिम/सामूहिक बीमा/पेंशन/ग्रेच्यूटि/राशिकरण/जी0पी0एफ0 भुगतान/यात्रा भत्ता अग्रिम/वेतनवृद्धि/मानदेय तथा वेतन निर्धारण का कार्य।
(5) जी0पी0एफ0 स्लिप, अवकाश लेजर का रख–रखाव।	(5) जी0पी0एफ0 स्लिप, अवकाश लेजर का रख–रखाव।
(6) मकान किराये के प्रार्थना पत्रों का परीक्षण/सरकारी मकान किराये की वसूली वेतन बिलों से करना तथा अधिशासी अभियन्ता को रेण्ट शिड्यूल पूर्ण करके भेजा जाना।	(6) मकान किराये के प्रार्थना पत्रों का परीक्षण/सरकारी मकान किराये की वसूली वेतन बिलों से करना तथा अधिशासी अभियन्ता को रेण्ट शिड्यूल पूर्ण करके भेजा जाना।
(7) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में अमांग (No Dues) पत्र जारी करना।	(7) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में अमांग (No Dues) पत्र जारी करना।
(8) सेवानिवृत्ति व मूल कर्मचारियों के अन्तिम वेतन पत्र, प्रमाण पत्र बनाना।	(8) सेवानिवृत्ति व मूल कर्मचारियों के अन्तिम वेतन पत्र, प्रमाण पत्र बनाना।

लेखा अनुभाग–2	लेखा अनुभाग–7
(9) आयकर की गणना/आयकर रजिस्टर में पोस्टिंग करना/तथा वार्षिक विवरण–पत्र आयकर विभाग को भेजना।	(9) आयकर की गणना/आयकर रजिस्टर में पोस्टिंग करना/तथा वार्षिक विवरण–पत्र आयकर विभाग को भेजना।
(10) प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारियों को अवकाश/अवकाश नकदीकरण के बिल बनाना तथा पेंशनरी एवं अवकाश वेतन के अंशदान की वसूली।	(10) प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारियों को अवकाश/अवकाश नकदीकरण के बिल बनाना तथा पेंशनरी एवं अवकाश वेतन के अंशदान की वसूली।
(11) दि0 01–10–2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों का टियर–1 एवं टियर–2 का रख–रखाव।	(11) दि0 01–10–2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों का टियर–1 एवं टियर–2 का रख–रखाव।
(12) निःसवंर्गीय/संविदा/तदर्थ कार्मिकों के वेतन आदि के आहरण एवं अन्य बिलों का पारण।	(12) निःसवंर्गीय/संविदा/तदर्थ कार्मिकों के वेतन आदि के आहरण एवं अन्य बिलों का पारण।
(13) विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों के उत्तर।	(13) विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नों के उत्तर।
(14) राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।	(14) राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य।
(15) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।	(15) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित कार्य।

2. तद्नुसार उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के अधीन सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1093/XXX(1)/2006 दिनांक 28 अगस्त, 2006 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

11 नवम्बर, 2013 ई0

संख्या 2333/XVI-1/13/1(21)/2013–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक–141/11/डी0पी0सी0/सेवा–2/2012–13 दिनांक 14 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण शाखा में श्री विजेन्द्र प्रसाद कुकरेती को अधीनस्थ सेवा वर्ग–1 से श्रेणी–2 में वेतनमान ₹ 15,600–39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में निम्न शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से पदोन्नति करते हुए वर्तमान तैनाती के स्थान कार्यालय निदेशक बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून से प्रधानाचार्य, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, रामनगर (नैनीताल) के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. यदि उक्त कार्मिक से ज्येष्ठ कार्मिक (जो उत्तराखण्ड के कार्मिक हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं) उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो ज्येष्ठता के आधार पर उन्हें पदोन्नति सम्बन्धी लाभ अनुमन्य होगा तथा श्री कुकरेती अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

2. सम्बन्धित कार्मिक तद्नुसार तत्काल अपनी उपस्थिति सूचना प्रस्तुत कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन को प्रस्तुत करेंगे।

3. उपरोक्त कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष/सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी पहले हो, तक परिवीक्षा में रखा जाता है।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

13 नवम्बर, 2013 ई0

संख्या 2394/XVI-1/13/1(85)/2004–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत श्री राजेश चन्द्र श्रीवास्तव, उपनिदेशक को संयुक्त निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, वेतनमान ₹ 15,600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 के रिक्त पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राजेश चन्द्र श्रीवास्तव को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. श्री श्रीवास्तव अपना कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक अधोहस्ताक्षरी एवं निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को प्रस्तुत करेंगे।

4. श्री राजेश चन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक/परियोजना प्रबन्धक के पद के दायित्वों के साथ–साथ वर्तमान तैनाती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के दायित्वों का निर्वहन भी अग्रिम आदेशों ते यथावत करते रहेंगे।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

08 नवम्बर, 2013 ई0

संख्या 950/IX/2013/246/2004–श्री राज्यपाल महोदय, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, वर्ष 1988) की धारा 68 की उपधारा (2), सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 57 के उपनियम (8) (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा में श्री शेर सिंह लटवाल पुत्र श्री हिम्मत सिंह लटवाल, ग्राम हरिपुरा छोई, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल तथा श्री रवि शर्मा पुत्र श्री हरिकृष्ण शर्मा, निवासी 401/8, हीरा नगर, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी में श्री मनीष छाबड़ा पुत्र श्री योगराज, निवासी ए–41 आवास विकास, रूद्रपुर, तहसील–किच्छा, जिला उधमसिंह नगर तथा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी में डा0 प्रमोद कुमार उनियाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उनियाल, टी–34, प्रोफेसर कालोनी, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल को उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 950/IX/2013/246/2004,** dated November 08, 2013 for general information.

NOTIFICATION

November 08, 2013

No. 950/IX/2013/246/2004--In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with sub-rule (8) (ii) of rule 57 of the Uttarakhand Motor Vehicles Rules, 2011, the Governor is pleased to accord sanction to the nomination of Shri Sher Singh Latwal S/o Shri Himmat Singh Latwal, Village Haripura Chhoi, Tehsil Ramnager, District Nainital and Shri Ravi Sharma S/o Shri Harikrishan Sharma, 401/8, Tehsil Haldwani, District Nainital, as non-official member in the Regional Transport Authority, Almora and Shri Manish Chhabra S/o Shri Yograj, A-41 Awas Vikas, Rudrapur, Tehsil-Kichcha, District Udhamsingh Nager, as non-official member in the Regional Transport Authority, Haldwani and Dr. Pramod Kumar Uniyal S/o Shri Jagdish Prashad Uniyal, T-34 Proffesor Colony, Badhshahitholl, District Tehri Garhwal, as non-official member in the Regional Transport Authority, Pauri to exercise the powers and discharge the duties conferred by sub-section (3) of Section 68 of the said Act, for a period of two years with effect from the date of issue of this notification.

By Order,

DR. UMAKANT PANWAR,

Secretary.

सहकारिता, गन्ना चीनी अनुभाग–1

अधिसूचना

13 नवम्बर, 2013 ई0

संख्या 1695 / XIV-1/2013-11(30)/2010–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 एवं 19 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन शासनादेश संख्या 512/XIV-1/2005 दिनांक 05–08–2005 द्वारा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत विभिन्न लोक प्राधिकारी इकाईयों में लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलेंट अधिकारियों को नामित किया गया है। उक्त अधिसूचना के क्रमांक–9 पर अंकित प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (समस्त प्रकार की विकास खण्ड स्तरीय न्याय स्तरीय एवं अन्य) में लोक सूचना अधिकारी के पद पर सम्बन्धित संस्था का सचिव / प्रबन्ध निदेशक एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में सहायक विकास अधिकारी (सह0) (सम्बन्धित विकास खण्ड का) पद धारक अधिकारी को नामित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में उक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2005 को संशोधित करते हुए क्रमांक–9 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

प्रारम्भिक सहकारी संस्थायें / समितियां

क्र0सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	अपीलेंट अधिकारी
9	प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (समस्त प्रकार की विकास खण्ड स्तरीय न्याय पंचायत स्तरीय एवं अन्य)	सम्बन्धित संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी / सचिव	अपर जिला सहकारी अधिकारी / सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 (सम्बन्धित तहसील का)

समय–समय पर निर्गत आदेशों के क्रम में अधिसूचना दिनांक 05–08–2005 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,

सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

प्रोन्नति/तैनाती

19 नवम्बर, 2013 ई0

संख्या 1054/XXVIII-2/01(139)2009–उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञ/सामान्य उप–संवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड–4, ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर कार्यरत निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निदेशक, वेतनमान वेतन बैण्ड–4, ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8900 के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए, उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	पदोन्नत निदेशक का नाम	नवीन तैनाती स्थल
1.	डा0 हरीश चन्द्र पाठक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़	प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़
2.	डा0 गोविन्द बल्लभ बिष्ट, प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बी0डी0 पाण्डे, (पुरूष) चिकित्सालय, नैनीताल
3.	डा0 कलाधर शर्मा, प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग	मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग
4.	डा0 सुरेश चन्द्रपन्त, नेत्र सर्जन, बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी	प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी
5.	डा0 दलबीर सिंह रावत, बालरोग विशेषज्ञ, दून चिकित्सालय, देहरादून	प्रमुख परामर्शदाता–बालरोग, दून चिकित्सालय, देहरादून
6.	डा0 धीरेन्द्र सिंह गर्ब्याल, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल	मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर
7.	डा0 अर्चना श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, देहरादून	अपर निदेशक–राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य महानिदेशालय, देहरादून
8.	डा0 हेमन्त कुमार जोशी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल	मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा
9.	डा0 मीना पुनेरा, चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा

2. उक्त चिकित्साधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नवीन तैनाती स्थान पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3. उपरोक्त प्रोन्नत अपर निदेशकों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

अतर सिंह,
उप सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/690–भाग 1–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 ई0 (अग्रहायण 30, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0) भवन, नियर आई0एस0बी0टी0, सहारनपुर रोड़,

क्लेमेन्टाऊन, देहरादून–248002

अधिसूचना

15 अक्टूबर, 2013

No. F-9(21)/RG/UERC/2013/996--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h), 86(1)(e) सपठित धारा 181(zp) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरण ऊर्जा स्रोत्रों तथा गैर जीवाश्म–ईंधन आधारित–सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है (''इसके आगे जिसे मुख्य विनियम कहा गया है'') अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरण ऊर्जा स्रोत्रों तथा गैर जीवाश्म–ईंधन आधारित–सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 1(3) का संशोधनः मुख्य विनियम के विनियम 1 के उप–विनियम 3 को समाप्त किया जाता है तथा निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

''इन विनियमों के प्रवृत्त होने पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (गैर परम्परागत व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2010 एवं इसके संशोधन, अध्याय 1 के विनियम 3, अध्याय 4 एवं 5 को छोड़कर, निरसित हो जायेंगे। उपरोक्त विनियम के उक्त अध्याय 1 के विनियम 3 एवं अध्याय 4 एवं 5 को पुनःस्थापित किया गया है। मुख्य विनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व की प्रारम्भ हुई परियोजनाओं के लिये उविनिआ (गैर परम्परागत व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2010 के अध्याय 1 के विनियम 3 एवं अध्याय 4 एवं 5 के प्राविधान निरंतर लागू रहेंगे।''

3. उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोत्रों तथा गैर जीवाश्म–ईंधन आधारित–सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 के विनियम 9 का उप–विनियम (1) को निम्न प्रकार पढ़ा जायेगाः–

"ऊर्जा के नवीकरणीय तथा गैर परम्परागत स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिये अधिनियम, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा शुल्क नीति के उपबंधों के अनुरुप राज्य के सभी वितरण अनुज्ञापी, बंधित (सह–उत्पादन आधारित बंधित को छोड़कर) उपयोग कर्ता तथा उन्मुक्त अभिगमन वाले ग्राहक, जिन्हें इसमें इसके आगे "बाध्य ईकाई" (Obligated Entity) के रूप में संदर्भित किया गया है, विनियम 4 के अधीन परिभाषित रूप में योग्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, निम्नानुसार स्वयं के उपभोग के लिये अपनी कुल विद्युत आवश्यकताओं का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने के लिये बाध्य होंगे। यह बाध्य ईकाईयों का नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO) कहलायेगा।

वर्ष	नवीनीकरणीय क्रय दायित्व–गैर सोलार	नवीनीकरणीय क्रय दायित्व–सोलार
2013–14	6.00%	0.050%
2014–15	7.00%	0.075%
2015–16	8.00%	0.100%
2016–17	9.00%	0.300%
2017–18	11.00%	0.500%

* ऊपर अनुबद्ध प्रतिशत आर.पी.ओ. स्वयं के उपयोग हेतु वर्ष के दौरान बाध्य ईकाई द्वारा सभी स्रोतों से क्रय की गई/उत्पादित कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रुप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन तथा उत्पादन से क्रय की न्यूनतम मात्रा व्यक्त करती है।

बशर्ते यदि ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर परम्परागत स्रोतों से ऊपर विनिर्दिष्ट RPO से अधिक ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है तो उत्पादक या बाध्य ईकाई आयोग से संपर्क करेंगे।"

आयोग के आदेश से,
नीरज सती,
सचिव।

पर्यटन विभाग, देहरादून

भूमि अर्जन प्रपत्र–एक

(देखें पैरा 15)

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना

(अधिनियम संख्या 1, 1894)

अधिसूचना

28 नवम्बर, 2013

संख्या 1058/आठ–वि0भू0अ0अ0/देहरादून/2013–भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या–1, 1894) की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सामान्य सूचना के लिए सहर्ष यह अधिसूचित करते हैं कि अनुसूची में उल्लिखित भूमि की एक लोक प्रयोजन देहरादून से मसूरी तक रोप वे के निर्माण के लिये आवश्यकता होने की सम्भावना है।

उक्त अधिनियम की धारा 5—क के अधीन, कोई व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर भूमि, या उसके समीप की किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में देहरादून के कलेक्टर को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी—विज्ञप्ति में उल्लिखित अनुसूचि अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

NOTIFICATION

November 28, 2013

No. 1058/VIII-S.L.A.O/2013--Under sub section (1) of section 4 of the Land acquisition Act, 1894 (Act 1, 1894) the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule is needed for a public purpose namely Develpoment of Dehradun Mussoorie Ropeway Project.

Under section 5-A of said act any person interested in the land may within 30 Days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of the land, or of any land, in the locality, in writing to the Collector Dehradun.

अनुसूची/SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	गाटा प्लांट संख्या Plot No.	लगभग क्षेत्रफल है0 में Appro. area in Hec.
1	2	3	4	5
देहरादून Dehradun	पछवादून Pachwadoon	पुनकलगांव Punkalgoan	232ग	0.4740
			234क	0.0630
			236क	0.0260
			236ख	6.4540
			236च	0.0400
			236ङ	0.0770
			236ह	0.0400
		योग—		7.1740

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:— जिला देहरादून में देहरादून से मसूरी तक रोप वे के निर्माण हेतु।

For what purpose requied for--Development of Dehradun Mussoorie Ropeway.

टिप्पणी:—उक्त भूमि का नक्शा/प्लान कलेक्टर, देहरादून के कार्यालय में देखा जा सकता है।

Note--A Site plan of the land/building may be Inspected in the Office of the Collector, Dehradun.

आज्ञा से,

रंजना,
कलेक्टर,
भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ,
देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/690—भाग 1—क—2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 ई0 (अग्रहायण 30, 1935 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला पंचायत पिथौरागढ़

16 दिसम्बर, 2011 ई0

सम्पत्ति एवं विभव कर
उपविधियां

पत्रांक संख्या 970/जि0पं0/2011–12

1– संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तार :

यह उपविधियां जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड की ''विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण'' ''निर्धारण और वसूली'' उपविधि 2010 कहलायेंगी।

1– यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।

2– इसका विस्तार ऐसे ग्राम्य क्षेत्रों, ग्रामीण बाजारों में व्यावसायिक बाजार, सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक स्थानों में स्थित बाजारों में होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

2–परिभाषायें:

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पचांयत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961(उ0प्र0अधिनियम सं0 33) से है।

(ख) अपर मुख्य अधिकारी, कार्याधिकारी और कर अधिकारी का तात्पर्य, जिला पंचायत, पिथौरागढ़ के अपर मुख्याधिकरी, कार्याधिकारी और कर अधिकारी से है।

(ग) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 119 के अधीन विभव और सम्पत्ति कर से है।

3– कर आरोपित करने के संबंध में परिषद् पर निर्बधन :

विभव और सम्पत्ति पर कर आरोपित करने कि जिला पंचायत पिथौरागढ़ की शक्ति नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा (2) के अधीन नियत शर्तो और निबन्धनों के अधीन होगी।

4– कर निर्धारण अधिकारी की शक्तियां और कर्त्तव्य :

कर निर्धारण अधिकारी – जिला पंचायत, पिथौरागढ़ के अपर मुख्य अधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण में कार्याधिकारी कर निर्धारण अधिकारी होगें।

(क) कर निर्धारण अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत पिथौरागढ़ के सामान्य नियन्त्रण और पर्यवेक्षण में कर निर्धारण सूची तैयार करेंगे।

(ख) कर निर्धारण सूची जिला पंचायत के सापेक्ष रखेगा, जैसा कि नियमों में व्यवस्थित है और जिला पचायत द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उसमें आवश्यक संशोधन करेंगा।

(ग) सूची को सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित करेगा।

(घ) कर दाताओं से कर वसूल करेगा या करायेगा तथा पंचायत द्वारा सौपें गये अन्य का पालन व अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

5– कर निर्धारण का आधार व वर्ष:

कर निर्धारण का आधार और शर्त –(1) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कर निर्धारित की कुल कर योग्य आय के आधार पर कर निर्धारण और भुगतान किया जायेगा।

(2) कर निर्धारिती की कुल कर योग्य आय की गणना उसकी विभवकर और सम्पत्ति, जिसके अर्न्तगत वेतन, मजदूरी और परिलब्धियां से आय, व्यापार से लाभ बोनस और विनियोजनों से लाभांश और ब्याज भी है, पर विचार करते हुए की जावेगी।

(3) शासन द्वारा रू0 12000/– वार्षिक आमदनी पर विभव एवं सम्पत्ति कर लागू किये जाने के निर्देश दिये है।

कर अरोपित करने की शर्ते और निर्बधन :

(क) कर की दर वही होगी, जो अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय।

(ख) कर का निर्धारण निकटतम रूपये तक कर दिया जायेगा। 50 पैसे कम की धनराशि पर विचार नहीं किया जायेगा, जबकि 50 पैसा या उससे अधिक की धनराशि की गणना 1.00रू0 की जायेगी।

(ग) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि 15.000.00 रू0 (पन्द्रह हजार रू0) प्रति वर्ष से अधिक न होगी।

(घ) कर की दर कुल योग आय पर 0.03 रू0 (पैसा) रूपया होगी।

6– कर सूची का तैयार किया जाना :

कर का निर्धारण और वसूली–(1) प्रत्येक 15 दिसम्बर को या उससे पूर्व कर निर्धारण अधिकारी ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जो कर के देनदार हों, एक सूची तैयार करेगा या करायेगा। तत्पश्चात् वह सूची में दर्ज व्यक्ति के और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के जो सूची में दर्ज न किये गये हों, किन्तु कर के देनदार प्रतीत हों विभव और सम्पत्ति पर विचार करेगा और ऐसे कर को धनराशि का अवधारण करेगा, जौसे व्यक्ति नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार देनदार होंगे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम और निर्धारित की गयी धनराशि प्रपत्र "क" मे कर निर्धारण सूची में दर्ज की जावेगी और उसे यथा संभव प्रत्येक वर्ष की 20 जनवरी को या उससे पूर्व पूरा कर लिया जावेगा। कर का निर्धारण प्रति वर्ष नये सिरे से किया जावेगा किन्तु गत वर्ष की सूची को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(2) कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा (2) के खण्ड क में इंगित कर और कर के देनदार प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में प्रपत्र "ख" में सूचना समेकित करेगा।

(3) कर निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये कि :

(क) क्या ऐसा व्यक्ति कर निर्धारण के दायित्व के अधीन है?
(ख) कितनी धनराशि पर कर निर्धारण किया जायेगा? और
(ग) जिला पंचायत में उसके स्वामित्व कब्जे या अध्यासन में भूमि भवन या किसी अन्य सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य:

या किराया/रेंट क्या है? इसमें से प्रत्येक में उसका हित क्या है? और स्वामी नहीं है तो स्वामी का नाम व पता क्या है? जिला पंचायत के राजस्व अधीक्षक, कर निरीक्षक, कर समाहर्ता या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति से कोई सूचना, जो उसके पास या नियन्त्रण में न हो, देने की अपेक्षा कर सकता है।

7– जिला पंचायत द्वारा कर सूची पर विचार करना और उसे वापस करना :

कर निर्धारण अधिकारी, कर निर्धारण सूची को पूरा करने के पश्चात् मुख्याधिकारी या अपर मुख्य अधिकारी और अध्यक्ष, जिला पंचायत के अनुमोदन से उसे यथा सम्भव 20 जनवरी या उससे पूर्व जिला पंचायत के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखेगा। जिला पंचायत उक्त सूची को संशोधन सहित या रहित अनुमोदन कर सकती है उसे यथासम्भव 15 जनवरी तक आवश्यक निर्देशों सहित, यदि कोई हो, कर निर्धारण अधिकारी को वापस कर देगी।

8– करदाता या उसके अभिकर्ता द्वारा कर सूची का निरीक्षण:

(1) कर निर्धारण अधिकारी,जिला पंचायत के निर्देशों, यदि कोई हो के अनुसार कर निर्धार सूची का पुर्नरीक्षण करेगा और तत्पश्चात् वह उस स्थान की सार्वजनिक सूचना देगा, जहां कर दाता या उसके अभिकर्ता किसी प्रकार का भुगतान किये बिना सूची का निरीक्षण कर सकते है। और उससे उद्धरण ले सकते हैं।

(2) यदि सार्वजनिक सूचना को किसी अंग्रेजी या हिन्दी समाचार पत्र मे जिसका उसे क्षेत्र मे व्यापक प्रचलन हो प्रकाशित किया गया हो और सार्वजनिक सूचना के लिए उसको जिला पंचायत के सूचना पट पर चिपकाया गया है तो यह समझा जायेगा कि सार्वजनिक सूचना दें दी गयी हैं।

9–आपत्तियों पर विचार :

(1) कर निर्धारण सूची को सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी प्रत्येक कर दाता को नोटिस देगा जिसमें उस पर निर्धारित कर की धनराशि विनिर्दिष्ट की जायेगी और उससे ऐसे नोटिस की तामिल के दिनांक से 30 दिन के भीतर निर्धारित कर के संबंध में आपत्तियां यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा।

(2) कर निर्धारण के संबंध में प्रत्येक आपत्ति लिखित रूप में होगी और उनमें उन अधिकारों का उल्लेख किया जायेगा, जिनसे कर का निर्धारण विवादग्रस्त हो गया हो और उसके कर का निर्धारण अधिकारी के नोटिस में निर्धारित दिनांक से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) कर निर्धारण अधिकारी आवेदक की सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् अन्वेषण करेगा और किन्ही आपत्तियों का निस्तारण करेगा और कर निर्धारण सूची में कोई संशोधन, जो आवश्यक हो, करेगा।

(4) उपनियम–3 के अधीन कर निर्धारण सूची में किया गया कोई संशोधन जिला पंचायत के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखेगा।

10– कर सूची में संशोधन करने की शक्ति :

जिला पंचायत किसी भी समय कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित परिर्वतन या संशोधन का सकती है:–

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का जिसकी आय पर कर निर्धारित किया जाना चाहिए किन्तु ऐसा नही किया गया है, नाम दर्ज करके।

(ख) ऐसे किसी निर्धारण में जो कपट, दुर्व्यपदेसन या भूल से किया गया हो, परिर्वतन करके।

(ग) किसी लेखन या गणित संबंधी भूल को ठीक करके :

परन्तु जिला पंचायत कम से कम 1 माह पूर्व ऐसे किसी परिर्वतन या संशोधन जिसे वह इस नियम के अधीन करने का प्रस्ताव करें, नोटिस देगा। जिसमें कर निर्धारिती की आपत्तियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा। यदि प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन से निर्धारित कर बढ़ जाय या इससे कर निर्धारित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

11– कर की वसूली:

कार्याधिकारी, कर अधिकारी, राजस्व अधीक्षक, कर निरीक्षक, कर समाहर्ता और जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी, जिसे जिला पंचायत द्वारा कर वसूल करने के लिये प्राधिकृत किया जाय, कर वसूल करेगा और उसे प्रपत्र–5 से एक रसीद देगा।

12– कर की किस्त :

सम्बद्व वर्ष के लिये कर कर समस्त धनराशि का भुगतान दो समान किस्तो में प्रति वर्ष पहली किस्त 15 मई तक और दूसारी किस्त 15 नवम्बर तक जिला पंचायत कार्यालय में जमा की जावेगी।

13– कर वसूल करने की रीति :

यदि कर दाता कर या उसके किसी भाग का भुगतान न करे तो कर के बकाये के रूप में देय समस्त धनराशिं जनपद न्यायालय पिथौरागढ़ के माध्यम से वसूली के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

(क) अधिनियम के अध्याय–8 की उपधारा 147 से 155 के अधीन नियत रीति से या तो चल–सम्पत्ति का अभिहरण और बिक्री करके या,

(ख) भू–राजस्व की बकाये के रूप में जैसा कि अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित है, वसूली की जायेगी।

14– मांग की नोटिस आदि पर शुल्क (धारा150):

अधिनियम के अध्याय–8 की धारा 147 से 155 के उपबन्धों के अनुसार कर के बकाया की वसूली की दशा में शुल्क और व्यय निम्नलिखित दर से वसूल किया जावेगा।

(1) निम्नलिखित के लिए शुल्क	धनराशि
(क) अधिनियम की धारा 150 के अधीन नोटिस	2.00 रू0 या जैसा राज्य सरकार के संग्रह विभाग द्वारा तत्दृशी कार्य के लिए समय–समय पर किया जाय या इसमें जो भी अधिक हो।
(ख) अधिनियम की धारा 153 या 155 के अधीन अभिहरण	5.00रू0 या जैसा राज्य सरकार के संग्रह विभाग द्वारा तत्दृशी कार्य के लिए समय–समय पर किया जाय या इसमें जो भी अधिक हो।
(2) अधिनियम की धारा 153 या 155 के अधीन अभिगृहित और काजी हाऊस में रखे गये किसी पशुधन की अनुरक्षण का व्यय	जिला पंचायत द्वारा प्रतिबन्धित काजी हाऊस में रखे पशुधन के संबंध मे जिला पंचायत द्वारा निर्धारित दर पर।

15– भू–राजस्व के बकाये की भांति कर की वसूली :

भू–राजस्व के बकाये की भांति कर की बकाये की वसूली की दशा में जिला पंचायत, जिला अधिकारी को एक प्रमाण पत्र भेजेगा, जिसमें करदाता द्वारा देंय विनिर्दिष्ट की जायेगी।

16–नियम –15 के विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रमाण–पत्र प्रपत्र "घ" में तैयार किया जायेगा, जिसमें जिला पंचायत द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित होंगे और उसे उस

जिले के जिसमें कर दाता या उसका विधिक प्रतिनिधि सामान्यतया निवास करता हो, जिलाधिकारी को भेजेगा।

17–नियम–16 के अनुसार प्रमाण–पत्र की प्राप्ति पर जिलाधिकारी (पिथौरागढ़) उसे इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में दर्ज करायेंगा और प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट धनराशि को भू–राजस्व की बकाये की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेंगे।

18–नियम–17 के अधीन जिलाधिकारी द्वारा वसूल की गयी धनराशि यथासम्भव वसूली के दिनांक से एक माह के भीतर जिला पंचायत को भेजी जायेगी।

19– अधिनियम की धारा 153 के अधीन किसी अभिहरण में या भू–राजस्व के बकाये की भांति किसी वसूली में अभिगृहित पशुधन को यथासम्भव जिला पंचायत द्वारा प्रबन्धित निकटतम काजी हाऊस में रखा जायेगा।

20– कर की वापसी :

कर वापसी व भुगतान की प्रकिया–कोई व्यक्ति, जिसने सम्पूर्ण अधिवर्ष के लिए कर भुगतान कर दिया है और जो इस अवधि के लिए कर निर्धारण से मुक्त हो गया हो, निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए कर की आनुपातिक धनराशि वापस पाने का अधिकारी होगा

(क)केवल पूरे मास के लिये ही धन की वापसी की जायेगी।

(ख) धनराशि की वापसी की गणना करने में पूरे मास से कम किसी खण्डित अवधि की गणना नही की जायेगी और,

(ग) कोई धनराशि तब तक वापस नही की जावेगी जब तक इस संबंध मे सम्बद्व व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को लिखित नोटिस न दी जायेगी

21–अपील (धारा135 और 136):

21–(1) विभव और सम्पत्ति कर के निर्धारण या उसमें किसी परिर्वतन या संशोधन के विरूद्व अपील अधिनियम की धारा 135 के अधीन निर्धारित शर्तो के अधीन रहते हुए नियत प्राधिकारी को की जा सकती है

(2)अपील ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जावेगी जिसमें इस आदेश की प्रति , जिसके विरूद्व अपील की गयी हो आपत्तियों के कारण संक्षिप्त रूप में दिये जावेंगे

(3)प्रतिवादियों पर तामिल करने के लिये अपील के ज्ञापन के साथ उसकी प्रर्याप्त संख्या में प्रतिलिपियां और इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "ड" में नोटिस की प्रतिलिपियां भी होंगी

(4)अपील का ज्ञापन प्राप्त होने पर उसके प्रस्तुत करने का दिनांक लिखा जावेगा, और यदि वह समय से प्रस्तुत किया हो और अधिनियम की धारा 136 के खण्ड "ख" के उपबन्धों का अनुपालन किया गया हो

(5) नियत प्राधिकारी के विवेकानुसार सुनवायी की किसी प्रकिया पर किसी अन्य दिनांक के लिये स्थगित किया जा सकता है।

(6) दोनों पक्षों की सुनवायी करने के पश्चात् नियत प्राधिकारी अपना आदेश लिखित रूप में देगा जिसमें उसके विनिश्चय के कारण दिये होंगे और वह उस पर हस्ताक्षर का उसे सुनायेंगे।

ह0 (अस्पष्ट),
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, पिथौरागढ़।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
जिला पंचायत,पिथौरागढ़।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/690–भाग 3–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 ई0 (अग्रहायण 30, 1935 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, नैनीताल

विज्ञप्ति

07 अक्टूबर, 2011 ई0

पत्रांक 1351 / XV-18–यूपी0म्यू0 एक्ट 1916 की धारा 298 एच (पी)(क्यू) (आर) और (एस) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा अपनी सीमा के अन्दर तीन पहियां के पैर से चलाये जाने वाले साईकिल रिक्शाओं को नियन्त्रण एवं विनियमित किये जाने हेतु बनायी गयी लाईसैन्स की उपविधि की विज्ञप्ति सं0 157 / XXIII-151 दिनांक 22 जनवरी, 1942 द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशित हुयी थी तथा जिसमें समय–समय पर संशोधित हुये हैं। उत्तराखण्ड भू–एक्ट की धारा 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं। निम्नलिखित संशोधन की एक्ट की धारा 301 के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना प्रकाशित होने की तिथि से एक माह के भीतर लिखित आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों व सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

संशोधन

उपविधि के प्रस्तर 10 के स्थान पर निम्नलिखित दर रखी जाती है:–

तीन पहिया पैडिल रिक्शा यात्री किराया प्रचलित दर ₹ 8 के (आठ रुपया) प्रतिफेरा के स्थान पर ₹ 10 प्रति फेरा होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, नैनीताल।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, नैनीताल।

विज्ञप्ति

30 जुलाई, 2013 ई0

पत्रांक 3086/XV-18—यूपी0 म्यूनिसिपल एक्ट 1916 की धारा 298 एच (क्यू) (III) और (एस) के नैनी सरोवर में किश्तियों, पैडिल बोट को रखने अथवा किराये को नियंत्रित विनियमित करने हेतु बनायी गयी प्रचलित उपविधि में जो विज्ञप्ति संख्या 1300/XXIII-66 दिनांक 18 जनवरी, 1929 द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशित हुई थी जिसमें समय–समय पर संशोधन हुए हैं। उत्तराखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 1916 की धारा 298 एच (क्यू) (II) और एक में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं निम्नलिखित संशोधन को एक्ट की धारा 301 के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना प्रकाशित होने की तिथि से एक माह के भीतर लिखित आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों व सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रस्तर सं0–2 चप्पूदार नाव में निम्न रखा जाता है :–

(अ) चप्पूदार नाव–झील का पूरा चक्कर ₹ 150 के स्थान पर ₹ 200 प्रति चक्कर।

झील का आधा चक्कर ₹ 100 के स्थान पर ₹ 150 प्रति आधा चक्कर।

(ब) पैडिल नौका फेरा (चार) सीटर ₹ 150 के स्थान पर ₹ 200 प्रति घण्टा।

पैडिल नौका टू (दो) सीटर ₹ 100 के स्थान पर ₹ 150 प्रति घण्टा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, नैनीताल।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, नैनीताल।

सूचना

मेरी पुत्री श्वेता राना की कक्षा 10 की मार्कशीट में माता का नाम श्रीमती सुधा राना अंकित हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम सतेश्वरी राना है। भविष्य में मुझे सतेश्वरी राना पत्नी श्री रमेश सिंह राना के नाम से जाना व पहचाना एवं पुकारा जाये।

सतेश्वरी राना,
पत्नी श्री रमेश सिंह राना,
नि0–विष्णुपुरम लेन नम्बर 1,
मोथरोवाला,
जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/690–भाग 8–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।